न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,महवा जिला दौसा
मु.नं. 42/2023

1.जगनलाल
2.चौथीलाल
3.हरकेश
} पुत्राण रंगलाल जाति मीना निवासी आंतरहेडा तहसील महवा (दौसा)
4.मनोज कुमार पुत्र सीताराम
5.जगनी बेवा सीताराम जाति मीना नि.आंतरहेडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1.रामसिंह पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी आंतरहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
2.लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 28.08.2023

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय वादपत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि ग्राम आंतरहेडा तहसील महवा की आराजी खाता सं. 36 खसरा नम्बर 202 लगायत 208 कुल किता 7 कुल रकबा 0.9200 एवं खाता सं. 37 के खसरा नम्बर 157/1, 158, 183/247, 184, 185, 192/496, 193/495, 212/2, 214/490, 215, 216, 226, 235, 252, 253, 254/556, 255, 260/550, 262, 280 कुल किता 20 कुल रकबा 8.7200 हैक्टर है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी रामसिंह पुत्र जौहरी एक ही पूर्वज की संतान है। खसरा नम्बर 202 लगायत 208 जयपुर से भरतपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल से है जिनमें खसरा नम्बर 204 के रकबा 0.0300 में से रकबा 0.0200 में प्रार्थी एवं रंगलाल,रामसिंह का शामलाती शिवालय बना हुआ है। दिनांक 09.05.23 के आसपास जब प्रार्थी अपनी भूमि में निर्माण कर रहे थे तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के परिवार के

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

साथ मारपीट की तथा धमकी दी कि हम तुम्हारे नि को तोडकर कब्जा करेंगे और तुम्हें इसमें निर्माण करने देंगे। तुम मना करोगे जो तुम्हें जान से मार देंगे। अप्रार्थी ने ख.नं. 208 में निर्माण चालू कर दिया। आराजी का अपने अपने हिस्से मुताबिक नाम कराने के लिये रंगलाल तथा रामसिंह से कहा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। आराजी पैतृक है जिसका 10–15 साल पूर्व बाहमी सडक पर आधा–आधा तथा ख.नं. 208 का आधा–आधा बंटवारा हो गया है तथा उसमें दोनो ने निर्माण भी कर लिया है तथा उसके बाद अप्रार्थी रामसिंह ने धोखे से गलत बंटवारा करवा लिया जबकि प्रार्थी पूर्व बाहमी बंटवारा से काबिज है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में कामयाव हो गये तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को किसी प्रकार संभव नहीं होगी। इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लाना लाजिम आया है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल छायाप्रति जमाबंदी संवत 2072–75 बाके ग्राम आंतरहेडा तहसील महवा पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए जिन्होंने जबाव पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समस्त तथ्य गलत है जो स्वीकार योग्य नहीं है। साथ की अंकित किया है कि जमाबंदी सं. 2072 से 2075 की प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये खसरा नम्बर ही नहीं है। साथ ही सजरा में रंगलाल एवं मृतक सीताराम के तीन पुत्रियॉ जिसमें मोहरबाई, मलूकी व बीना बाई भी है तथा मृतक सीताराम के भी दो पुत्रियॉ मनीषा और मंजू है। उक्त आराजी जौहरी से प्राप्त हुई है लेकिन नामान्तरकरण जौहरी की मृत्यु के बाद सही खुला है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। क्योंकि पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों के नाम बाबा की सम्पत्ति का नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। अप्रार्थी उत्तरदाता के हिस्से में आई आराजी से प्रार्थीगण का एवं उनके पिता रंगलाल का कोई वास्ता नहीं है । सम्पूर्ण तथ्य असत्य होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है । गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

...श किया है उनका ना तो प्रथम दृष्टया केस ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उनके पक्ष में है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए निम्न तीन बिन्दूओं को अपने पक्ष में साबित कराना है।

1. प्रथम दृष्टा केसः– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विवादग्रस्त आराजी का तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 18.06.2018 को आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन किया जा चुका है जिसके आधार पर अलग खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस स्तर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। जिसके लिये वर्तमान राजस्व रिकार्ड ही पर्याप्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।
2. सुविधा का संतुलनः– चूँकि खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है। तहसीलदार महवा द्वारा किये गये विभाजन को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वे अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी को बेदखल कर सकते है जिससे अप्रार्थी को ही असुविधा होगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।
3. ना पूर्ति होने वाली क्षतिः– चूँकि अप्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है। यदि प्रार्थीगण द्वारा उसे बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं होकर अप्रार्थी को ही होगी। इसलिये अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम निषकर्ष पर पहुँचते है कि प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.06.2023 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल बाद संलग्न रहे।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा